उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

संख्या-34/2018/1091/60-03-2018-3(11)/98टीसी

लखनऊ : दिनांक : 10 सितम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य समाज कल्याण बोर्ड के गठन एवं कार्यप्रणाली संबंधी नियमावली के नियम-3(5) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यों के निर्वहन के लिये अन्तरिम व्यवस्था के तौर पर श्री जय प्रकाश सगर, सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को उ0प्र0 राज्य समाज कल्याण बोर्ड का प्रशासक नियुक्त किया गया था। वे अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2018 को सेवानिवृत्त हो गये हैं।

2- उक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य समाज कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष के कार्यो के निर्वहन हेतु वैकल्पिक रूप से प्रशासक की नियुक्ति होने तक की अवधि के लिये श्री सुभाष चन्द्र, उप सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को अपने कार्यों के साथ-साथ तात्कालिक प्रभाव से राज्य समाज कल्याण बोर्ड कार्यालय में दूरभाष/ब्राडबैन्ड के लम्बित बिलों के भुगतान तथा अन्य आवश्यक व्यय यथा-वेतन, पेन्शन, टेलीफोन, भवन किराया, बिजली-पानी, स्टेशनरी एवं आउट सोर्सिंग एजेन्सी आदि के भुगतान संबंधी कार्यों के लिये अधिकृत किया जाता है।

अजय कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-1091(1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उप निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारत सरकार नई दिल्ली।

2- निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0।

3- श्री सुभाष चन्द्र, उप सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- सचिव, राज्य समाज कल्याण बोर्ड के पत्र संख्या-एफ/1-3/यू0पी0एस0एस0डब्ल्यू0बी0/2014/57/Reconst/Vol.IV/967-68, दिनांक 20.08.2018 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in